न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 03 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. केसराराम पुत्र श्री दामाराम
2. धर्माराम पुत्र श्री दामाराम
   के कायम मुकामः–
   2/1स्वरूपराम पुत्र स्व. श्री धर्माराम
   2/2सवाईराम पुत्र स्व. श्री धर्माराम
   2/3श्रीमती वींरों देवी पत्नी स्व श्री धर्माराम, सभी जातियान जाट निवासी कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.धन्नाराम पुत्र श्री दामाराम
2.वालाराम पुत्र श्री दामाराम
3.वरजू देवी पुत्री स्व. श्री धर्माराम
सभी जातियान जाट निवासी कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।
4.शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा उण्डू, तहसील शिव, जिला बाड़मेर
5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक शिव, बाड़मेर
6.जैठाराम पुत्र श्री भैराराम, जाति जाट, निवासी पूनियों का तला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 203/2017 अनवान केसराराम बनाम धन्नाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018।

उपस्थित

1. वकील श्री भंवरलाल डूडी अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री बृजमोहन कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 25.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर शिव के समक्ष वाद पेश किया। जिसके साथ एक आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक एवं दो की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 120, 121,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

122 रकबा क्रमश 88.04, 0.10, 63.05 बीघा कुल रकबा 151.19 बीघा मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर, तहसील शिव जिला बाड़मेर आये हुआ है उक्त आराजी में वादी संख्या 1 एवं 2 का प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/4–1/4 प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 का प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 1/4–1/4 आया हुआ है। उक्त हिस्से अनुसार आये रकबे का वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा काश्त के काबिज थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से बहस सुने बिना रेस्पोडेंट/विप्रार्थीगण पक्षकारान की सहमति के आधार पर नामान्तरण किये जाने की सीमा तक जो आदेश पारित किया गया है, जो कानूनी मंशा के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है, जिसे निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय वाद में विवादग्रस्त आराजी को विप्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पत्ति को किसी अजनबी के हाथों बैचान करने के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है लेकिन वाद के विचारण के दौरान ही रेस्पोडेंट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति अपील में अप्रार्थी संख्या छः को बैचान कर दी गई उक्त अप्रार्थी संख्या छः के द्वारा वाद में पक्षकार बनने हेतुएक आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया, जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना की क्रेता के पक्ष में नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसमें रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये जवाब में ऐसा को तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि उक्त अन्तरिम आदेश से रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होती है, सुविधा का सन्तुलन भी रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हो अथवा प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के पक्ष में पाया जाता हैं। उक्त तीनों बिन्दुओं पर किसी प्रकार का निष्कर्ष दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप एवं उभयपक्ष की सहमति से आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सद्भाविक रेकर्डेड खातेदार है उसने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है जिसका नामान्तकरण करवाने का अधिकार रखता है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आदेश निर्णय दिनांक 10.01.2018 उभयपक्ष की सहमति से हुआ है। इसमें किया गया है कि उभयपक्ष द्वारा इस आदेश के तहत वर्णित आवेदन–पत्र स्वीकार करने बाबत सहमति दी गई है। आदेश का प्रासंगिक अंश उद्धृत है: "अतः उभयपक्ष की सहमति से विप्रार्थीसंख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में बेचान किये गये दस्तावेज के आधार पर क्रेता का नामान्तरकण किय जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।" विधि के आलोक में भी हस्तगत अपील का परीक्षण किया। निर्णय/अपील के संबंध में सी पी सी के प्रावधान अनुसार पक्षकारों की सहमति/रजामंदी/स्वीकृति के आधार पर निर्णीत मामलों में अपील अनुज्ञात नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट विधि से वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 203/2017 बअनवान केसराराम वगै. बनाम धन्नाराम वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

25/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner